R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

खण्ड XI ◆ अंक 10
अप्रैल 2015

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

बैंकिंग विनियमन

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिया जाने वाला उधार - संशोधित लक्ष्य एवं वर्गीकरण

रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र मानदंडों से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए तथा बैंकों के लिए निर्धारित लक्ष्यों एवं वर्गीकरण में संशोधन किया है। ये संशोधित दिशानिर्देश 23 अप्रैल 2015 से लागू हुए हैं। 23 अप्रैल 2015 से पहले जारी किए गए दिशानिर्देशों के अंतर्गत मंज़ूर किए गए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के ऋणों को चुकौती/परिपक्वता/नवीकरण तक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना जारी रहेगा।

कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र

देशी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं 20 और उससे अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों को समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलन-पत्रेतर एक्सपोज़र की क्रेडिट समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, के 40 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करना होगा।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के वर्ग

(i) *मौजूदा वर्गों के अलावा मध्यम उद्यम, सामाजिक बुनियादी संरचना और नवीकरणीय ऊर्जा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र का अंग बनेंगे।*

(ii) कृषि : प्रत्यक्ष व परोक्ष कृषि के बीच के अंतर को समाप्त कर दिया गया है। खाद्य और कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को दिए जाने वाले बैंक ऋणों को कृषि के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। जहां तक कृषि के अंतर्गत वर्गों का प्रश्न है लघु एवं सीमांत किसानों के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलन-पत्रेतर एक्सपोज़र की क्रेडिट समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, के 8 प्रतिशत का लक्ष्य तय किया गया है, जिसे चरणबद्ध रूप से हासिल किया जाना है, अर्थात् मार्च 2016 तक 7 प्रतिशत और मार्च 2017 तक 8 प्रतिशत।

(iii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम : जहां तक सूक्ष्म उद्यमों का संबंध है समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलन-पत्रेतर एक्सपोज़र की क्रेडिट समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, के 7.5 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे चरणबद्ध रूप से हासिल किया जाना है, अर्थात् मार्च 2016 तक 7 प्रतिशत और मार्च 2017 तक 7.5 प्रतिशत।

(iv) निर्यात ऋण : 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के मामले में समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलन-पत्रेतर एक्सपोज़र की क्रेडिट समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, के 32 प्रतिशत का लक्ष्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंग के रूप में पात्र होगा। अन्य बैंकों के मामले में पिछले वर्ष की संबंधित तारीख को वृद्धिशील निर्यात ऋण की गणना समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलन-पत्रेतर एक्सपोज़र की क्रेडिट समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, के 2 प्रतिशत तक की जाएगी।

(v) *शिक्षा* : शैक्षिक प्रयोजनार्थ व्यक्तियों को दिए जाने वाले ऋणों, जिनके अंतर्गत ₹10 लाख तक के व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी शामिल हैं, को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करने हेतु पात्र माना जाएगा, चाहे मंज़ूर की गई राशि कुछ भी हो।

(vi) *आवास* : आवास इकाई की खरीद/निर्माण के लिए महानगरों (दस लाख और उससे अधिक आबादी वाले) में व्यक्तियों को दिए जाने वाले ₹28 लाख तक के ऋण और अन्य केंद्रों में ₹20 लाख रुपये तक के ऋण, बशर्ते महानगरों और अन्य केंद्रों में उस आवास इकाई की समग्र लागत क्रमशः ₹35 लाख और ₹25 लाख से अधिक न हो। बैंक के अपने कर्मचारियों को दिए गए ऋणों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

(vii) *सामाजिक बुनियादी संरचना* : टियर-I से टियर-VI केंद्रों में विद्यालय, स्वास्थ्य देख भाल सुविधाएं, पेयजल सुविधाएं और स्वच्छता सुविधाएं जैसे कार्यकलापों के लिए सामाजिक बुनियादी संरचना के निर्माण हेतु ₹5 करोड़ प्रति उधारकर्ता की सीमा तक दिए जाने वाले बैंक ऋणों को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(viii) *नवीकरणीय ऊर्जा* : सौर ऊर्जा पर आधारित बिजली के जेनरेटर, बॉयोमास आधारित बिजली जेनरेटरों,पवन चक्कियों, माइक्रो-हाइडेल संयंत्रों जैसे प्रयोजनों तथा अपारंपरिक ऊर्जा पर आधारित सार्वजनिक सेवाओं, यथा स्ट्रीट लाइट प्रणालियों, और दूरदराज़ गांवों के विद्युतीकरण के लिए उधारकर्ताओं को दिए जाने वाले ₹15 करोड़ के बैंक ऋणों को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण के अंतर्गत शामिल हैं। जहां तक परिवार श्रेणी में व्यक्तियों को दिए जाने वाले ऋण की सीमा ₹10 प्रति उधारकर्ता होगी।

(ix) कमज़ोर वर्ग : पूर्व की भांति समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलन-पत्रेतर एक्सपोज़र की क्रेडिट समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, का 10 प्रतिशत।

(x) अन्य पात्र ऋण :

- व्यक्तियों और उनके स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/संयुक्त देयता समूह (जेएनजी) को बैंकों द्वारा प्रति उधारकर्ता को दिए जाने वाले ₹50,000/- तक के ऋण, बशर्ते ग्रामीण क्षेत्रों में वैयक्तिक उधारकर्ता के परिवार की वार्षिक आय ₹100,000/- से अधिक न हो तथा गैर-ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में यह राशि ₹1,60,000/- से अधिक न हो।

विषय सूची

पृष्ठ

बैंकिंग विनियमन

- प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिया जाने वाला उधार - संशोधित लक्ष्य एवं वर्गीकरण 1
- बैंक फार्मों/आवेदनों में तीसरा जेंडर 2
- जानबूझकर चूककर्ताओं की पहचान करने का पारदर्शी तंत्री 2
- संवेदनशील पदों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए अनिवार्य छुट्टी 2
- जमाराशियों पर विभेदक ब्याज दरें 2
- परियोजनाओं के स्वामित्व में बदलाव पर विवेकपूर्ण मानदंड
- अग्रिमों से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड 3
- धोखाधड़ी वाले खातों से संबंधित प्रावधानीकरण 3
- पूंजी पर्याप्तता और चलनिधि मानकों पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश 3
- पहला द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2015-16 2

विदेशी मुद्रा

- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र पर परिचालनात्मक दिशानिर्देश 3
- ई-कारोबार मंच पर एफडीआई की रिपोर्टिंग 3
- बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 3

सावधान

गैर-बैंकिंग विनियमन

- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के दिशानिर्देशों में संशोधन 4

मुद्रा प्रबंध

मुद्रा तिजोरियां खोलने की सरलीकृत क्रियाविधि 4

उपयोगी सूचना

- सार्व जनिक क्षेत्र बैंकों में शीर्ष पदों का विभाजन 4
- बैंकों में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग 4

- गैर-संस्थागत ऋणदाताओं को देय कर्ज को चुकाने के प्रयोजन से संकटग्रस्त व्यक्तियों (किसानों को छोड़कर) को दिए जाने वाले ₹100,000/- तक (प्रति उधारकर्ता) के ऋण।
- प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के खातों के लिए बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ₹5,000/- तक के ओवरड्राफ्ट, बशर्ते ग्रामीण क्षेत्रों में वैयक्तिक उधारकर्ता के परिवार की वार्षिक आय ₹100,000/- से अधिक न हो तथा गैर-ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में यह राशि ₹1,60,000/- से अधिक न हो।
- कच्चे मालों की खरीद व आपूर्ति और/या उत्पादों के विपणन के विशिष्ट प्रयोजन से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के राज्य प्रायोजित संगठनों को दिए जाने वाले ऋण।
- बैंकों द्वारा प्रतिभूतीकृत आस्तियों में किए जाने वाले निवेश, जो कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के विभिन्न वर्गों को दिए गए ऋणों के प्रतीकस्वरूप के हैं। किंतु इसके अंतर्गत ऐसा 'अन्य' वर्ग शामिल नहीं है, जो कि कतिपय शर्तों के अधीन अंतर्निहित आस्तियों पर निर्भर हैं।
- जोखिम विभाजन के आधार पर बैंकों द्वारा खरीदे जाने वाले अंतर बैंक सहभागिता प्रमाण-पत्र (आईबीपीसी), बशर्ते अंतर्निहित आस्तियां प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के संबंधित वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने हेतु पात्र हों।
- बैंकों द्वारा खरीदे जाने वाले बकाया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाण-पत्र (इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिशानिर्देश जारी किए जाने के बाद), बशर्ते उन आस्तियों का प्रारंभ बैंकों द्वारा किया गया हो, तथा वे प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत करने हेतु पात्र हों तथा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के ऋण प्रमाण-पत्रों संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को पूरा करती हों।

विदेशी बैंकों के लिए लक्ष्य

20 और उससे अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों को उनके द्वारा प्रस्तुत की गई कार्य योजनाओं, जिन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया हो, के अनुसार कृषि और कमज़ोर वर्गों के लिए निर्धारित लक्ष्यों व उप लक्ष्यों को 31 मार्च 2018 तक हासिल करना होगा। 2017 में समीक्षा किए जाने के बाद लघु और सीमांत किसानों से संबंधित 2018 के बाद के उप लक्ष्यों को लागू किया जाएगा।

20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंक एएनबीसी या तुलन-पत्रेतर एक्सपोज़र की क्रेडिट समतुल्य राशि के 40 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी लक्ष्य लागू होगा। यह लक्ष्य अन्य बैंकों के लिए 2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के बराबर है और इन बैंकों के लिए उप लक्ष्य, यदि 2020 के बाद लागू किए जाने हों, यथासमय निर्धारित किए जाएंगे।

लक्ष्य तिमाही आधार पर हासिल किए जाएं :

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी लक्ष्यों को तिमाही आधार पर हासिल किया जाना है, जबकि वर्तमान में वार्षिक आधार पर हासिल किया जाना है।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण से संबंधित मौजूदा दिशानिर्देश की समीक्षा करने हेतु जुलाई 2014 में एक आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) का गठन किया गया। इस आईडब्ल्यूजी की रिपोर्ट पर जनता की राय आमंत्रित करते हुए उसे सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध कराया गया। आईडब्ल्यूजी की सिफारिशों के संबंध में भारत सरकार, बैंकों और अन्य संबंधितों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते जुए उनकी जांच की गई और संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए (एफआईडीडी.सीओ.प्लान. बीसी.54/04.09.01/2014-15, दिनांक 23 अप्रैल 2015)।

पहला द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2015-16

वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर रिज़र्व बैंक ने 7 अप्रैल 2015 को यह निर्णय लिया कि:

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रिपो दर को 7.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए;
- अनुसूचित बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को निवल मांग और मीयादी देयताओं के 4.0 प्रतिशत पर बरकरार रखा जाए;
- नीलामियों के माध्यम से एलएएफ रिपो दर पर बैंक-वार एनडीटीएल के 0.25 प्रतिशत पर ओवरनाइट रिपो तथा बैंकिंग प्रणाली के एनडीटीएल के 0.75 प्रतिशत तक 7-दिवसीय और 14-दिवसीय मीयादी रिपो के अंतर्गत चलनिधि उपलब्ध कराना जारी रखा जाए; तथा
- चलनिधि की निर्बाध उपलब्धता के लिए दैनिक परिवर्तनीय दर रिपो और प्रतिवर्ती रिपो को जारी रखा जाए।

परिणामस्वरूप, एलएएफ के अंतर्गत प्रतिवर्ती रिपो दर 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेगी तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 8.5 प्रतिशत रहेगी(https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/PressReleases.aspx?Id=25445&Mode=0)।

बैंक फार्मों/आवेदनों में तीसरा जेंडर

रिज़र्व बैंक ने 23 अप्रैल 2015 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को निदेश दिया कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट या बैंकों द्वारा स्वयं निर्धारित ऐसे फार्मों/आवेदनों में 'तीसरे जेंडर' को शामिल करें, जहां जेंडर का वर्गीकरण विनिर्दिष्ट किया गया है (डीबीआर.नं.एलईजी.91/09.07.005/2014-15, दिनांक 23 अप्रैल 2015)।

जानबूझकर चूककर्ताओं की पहचान करने का पारदर्शी तंत्र

रिज़र्व बैंक ने 23 अप्रैल 2015 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर) और सभी अखिल भारतीय अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया कि वे जानबूझकर चूककर्ताओं की पहचान हेतु एक विस्तृत पारदर्शी तंत्र की स्थापना करें (डीबीआर.नं.सीआईडी.बीसी.90/20.16.003/2014-15, दिनांक 23 अप्रैल 2015)।

एक अन्य अधिसूचना में रिज़र्व बैंक ने सूचित किया कि गैर-पूर्णकालिक निदेशक को तब तक चूककर्ता न मान लिया जाए जब तक निष्कर्ष के रूप में यह साबित नहीं हो जाता कि उसे उधारकर्ता की चूक की जानकारी थी या वह उधारकर्ता की चूक से सहमत हो गया (डीबीआर.नं.सीआईडी.बीसी.89/20.16.001/2014-15, दिनांक 23 अप्रैल 2015)।

संवेदनशील पदों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए अनिवार्य छुट्टी

रिज़र्व बैंक ने 23 अप्रैल 2015 को सभी अनुसूचित वाणिज्यि बैंकों को सूचित किया कि संवेदनशील पदों पर या परिचालन क्षेत्र (जैसे खज़ाना, मुद्रा तिजोरी, जोखिम मॉडलिंग, मॉडल वैधीकरण आदि) में कार्य कर रहे कर्मचारियों को 'अनिवार्य छुट्टी' नीति के अंतर्गत समाहित किया जाए। इस नीति के अनुसार इन कर्मचारियों को ऐसे क्षेत्रों में कार्य करते समय प्रत्येक वर्ष एक अवसर पर कुछ दिनों (जैसे 10 कार्य दिवस) के लिए छुट्टी लेनी ज़रूरी होगी। बैंकों को ऐसे अत्यंत संवेदनशील पदों की पहचान करनी चाहिए, जिसके लिए बैंक बिना किसी पूर्व सूचना दिए कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष निश्चित कार्य दिवसों के लिए छुट्टी पर रहने के लिए सूचित करेगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि जब वह कर्मचारी 'अनिवार्य छुट्टी' पर रहता है या उसे अपने डेस्क से दूर रहने को कहा जाता है तो उसे अपने कार्यों की जिम्मेदारी से संबंधित किसी भी भौतिक या वर्चुअल संसाधानों का ऐक्सस न मिले, अपवादस्वरूप कॉर्पोरेट ई-मेल की सुविधा इसमें शामिल नहीं है। 'अनिवार्य छुट्टी' और 'डेस्क से दूर' रहने की अपेक्षा के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले संवेदनशील पदों या परिचालन क्षेत्रों की एक व्यापक सूची बैंक की अपनी नीति के अनुसार निदेशक मंडल और बोर्ड समिति का अनुमोदन प्राप्त कर तय की जा सकती है। इन पदों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को इन अपेक्षाओं से अवगत करा दिया जाए। ऐसी नीति का कार्यान्वयन बैंक की जोखिम प्रबंध प्रणाली से संबंधित रिज़र्व बैंक की पिलर-।। समीक्षा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा (डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.88/21.04/048/2014-15, दिनांक 23 अप्रैल 2015)

जमाराशियों पर विभेदक ब्याज दरें

रिज़र्व बैंक ने 16 अप्रैल 2015 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को अनुमति दी है कि वे मीयादी जमाराशियों पर समय-पूर्व आहरण की सुविधा होने अथवा न होने के आधार पर निम्नलिखित दिशानिर्देशों के तहत विभेदक ब्याज दरों का प्रस्ताव करें -

(i.) व्यक्तियों (एकल अथवा संयुक्त रूप से रखी गई) की 15 लाख और इससे कम की सभी मीयादी जमाराशियों के लिए समय पूर्व आहरण की सुविधा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए ।

(ii.) बैंक उपर्युक्त (i) के अलावा अन्य सभी मीयादी जमाराशियों के लिए, ग्राहकों को समय पूर्व आहरण की सुविधा अथवा बिना सुविधा का चुनाव करने का विकल्प दे सकते हैं।

(iii.) जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज दरों की सूची बैंकों को पहले से ही प्रकट करनी होगी।

(iv.) बैंकों को विभेदक ब्याज दरों वाली जमाराशियों सहित ब्याज दरों के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति को अपनाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तावित ब्याज दरें उपयुक्त, सुसंगत, पारदर्शी हों और जब कभी अपेक्षित हो विनियामकीय समीक्षा/संवीक्षा के लिए उपलब्ध हो। (डीबीआर.सं.डीआईआर.बीसी.87/13.03.00/2014-15, दिनांक 16 अप्रैल 2015)।

सावधान

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'ऑल बैंक बैलेन्स एन्क्वाइअरी' ऐप को लेकर चेतावनी दी

भारतीय रिज़र्व बैंक को पता चला है कि कथित रूप से ग्राहकों के बैंक खातों में रहने वाली शेष राशि जानने के लिए वाट्स ऐप पर एक ऐप (ऐप्लिकेशन) भेजा जा रहा है। इस ऐप्लिकेशन पर रिज़र्व बैंक का लोगो दिखाई देता है और इस पर 'ऑल बैंक बैलेन्स एन्क्वाइअरी नंबर' नामक शीर्षक दिया गया है। इसमें कई बैंकों की सूची उपलब्ध है जिसमें मोबाइल नंबर या कॉल सेन्टर के नंबर भी दिए गए हैं।रिज़र्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि उसने ऐसा कोई ऐप विकसित नहीं किया है।

परियोजनाओं के स्वामित्व में बदलाव पर विवेकपूर्ण मानदंड

रिज़र्व बैंक ने 6 अप्रैल 2015 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को अनुमति दी है कि वे मौजूदा विनियमों के अंतर्गत अनुमति दी गई वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की तारीख (डीसीसीओ) के विस्तार के अतिरिक्त डीसीसीओ को और 2 वर्षों की अवधि तक आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। अनुमति उन मामलों में बढ़ाई जा सकती है जहां बैंकों के आकलन में परियोजना का कार्यान्वयन मुख्य रूप से मौजूदा प्रवर्तकों की अपर्याप्तता के कारण अवरूद्ध हुआ है और बाद में उधारकर्ता संस्था के स्वामित्व में बदलाव हो गया है। (डीबीआर.सं.बीपी. बीसी.84/21.04.048/2014-15, दिनांक 6 अप्रैल 2015)

अग्रिमों से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड

रिज़र्व बैंक ने 6 अप्रैल 2015 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया है कि वे निर्यात निष्पादन गारंटी, जहां जारी किए जाने की अनुमति है, वह पूरी तरह से निष्पादन गारंटी के स्वरूप में होगी और उसमें ऐसे कोई खंड नहीं होंगे जो वास्तव में ऐसी निष्पादन गारंटियों को वित्तीय गारंटियों/अतिरिक्त साख पत्रों के रूप में उपयोग करने की अनुमति दें।(डीबीआर.सं.बीसी. 85/21.04.048/2014-15, दिनांक 6 अप्रैल 2015)।

धोखाधड़ी वाले खातों से संबंधित प्रावधानीकरण

समीक्षा करने पर रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 2015 को धोखाधड़ी के सभी मामलों के लिए एक समान प्रावधानीकरण मानदंड निर्धारित किए हैं जो इस प्रकार हैं:

- बैंक को प्राप्य संपूर्ण राशि (ऐसी आस्तियों के बदले धारित प्रतिभूति मात्रा चाहे कुछ भी हो) या जिस राशि के लिए बैंक देनदार है (जमा खातों सहित), उसका प्रावधान धोखाधड़ी का पता चलने वाली तिमाही से लेकर चार तिमाहियों की अवधि के लिए किया जाए;
- तथापि, रिज़र्व बैंक को धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने में जहां भी निर्धारित अवधि से अधिक का विलंब हुआ है, वहां संपूर्ण प्रावधान तुरंत किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक वहां उचित पर्यवेक्षी कार्रवाई भी कर सकता है जहां धोखाधड़ी की सूचना देने या इसके लिए प्रावधान करने में विलंब हुआ है। (डीबीआर.सं.बीपी.बीसी. 83/21.04.048/2014-15, दिनांक 1 अप्रैल 2015)

पूंजी पर्याप्तता और चलनिधि मानकों पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश

रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2015 को बैंकों को सूचित किया कि वे 1 अप्रैल 2015 से न्यूनतम विवेकपूर्ण मानक इस तरह से अपनाए और लागू करें जो सभी सदस्य अधिकारक्षेत्रों में अनुरूप हो। रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति (बीसीबीएस) द्वारा सहमत और संकट के बाद जी20 नेताओं द्वारा समर्थित अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत सुधार पैकज को ध्यान में रखते हुए पूंजी पर्याप्तता और चलनिधि मानकों पर कुछ विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन किया। (डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.80/21.06.201/2014-15, दिनांक 31मार्च 2015)।

विदेशी मुद्रा

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र पर परिचालनात्मक दिशानिर्देश

रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2015 को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों को सूचित किया कि वित्तीय संस्था या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (आईएफएससी) में स्थापित वित्तीय संस्था की कोई शाखा और सरकार या किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा ऐसी अनुमति/मान्यता प्राप्त करने वाली संस्था को भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति के रूप में माना जाएगा। इसलिए भारत में रहने वाले व्यक्ति के साथ उसके लेनदेन को निवासी और अनिवासी के बीच लेनदेन माना जाएगा तथा यह विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों/विनियमों/निदेशों के अधीन होगा।(ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.92, दिनांक 31मार्च 2015)

ई-कारोबार मंच पर एफडीआई की रिपोर्टिंग

रिज़र्व बैंक ने 17 अप्रैल 2015 को ई-कारोबार पोर्टल को एक्सेस करने के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) से प्राप्त वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) खातों का उपयोग करने हेतु कुछ वित्तीय पहलुओं पर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I)बैंकों को सूचित किया। वीपीएन खाता अलग-अलग प्रोयक्ताओं के नाम पर होगा और यह बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद द्वारा जारी डिजीटल हस्ताक्षर (श्रेणी 2) प्रमाण-पत्रों (जो अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए है) की अवधि के समान होगा। एडी श्रेणी-I बैंकों से अपेक्षित है कि वे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण(एनईएफटी)/तत्काल सकल भुगतान (आरटीजीएस) प्रणालियों के माध्यम से वीपीएन खातों के लिए आवश्यक भुगतान अग्रिम रूप से सीधे राष्ट्रीय सूचना केंद्र सेवा इंक (एनआईसीएसआई) बैंक खाते में जमा कराएं। भुगतान करने के बाद प्राधिकृत व्यापारी बैंक 'भुगतान संदर्भ फार्म' में ब्यौरे भरकर उस फार्म को भेजें। प्राधिकृत बैंक कनेक्शनों की संख्या, एनआईसीएसआई को विप्रेषित राशि से संबंधित उचित रिकार्ड अनुरक्षित करेंगे [ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 95, दिनांक 17 अप्रैल 2015]।

बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों को सूचित किया कि 8 अप्रैल 2015 से बीमा क्षेत्र में संशोधित शर्तों के अधीन 49 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति होगी। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के तहत नियुक्त ''अन्य बीमा मध्यस्थ'' जैसा नया कार्यकलाप 'बीमा' की परिभाषा के अंदर शामिल किया गया है।

मौजूदा व्यवस्था के मुख्य बदलावों में निम्नलिखित शामिल होगा:

(i) भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी निवेश कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी के 49 प्रतिशत तक सीमित होगा;

(ii) 26 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वचालित मार्ग के तहत होगा और 26 प्रतिशत से 49 प्रतिशत तक निवेश सरकारी अनुमोदन से होगा;

(iii) इस क्षेत्र में विदेशी निवेश बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों के अनुपालन के और इस शर्त के अधीन है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने वाली कंपनियां बीमा कार्यकलाप करने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करेंगी;

(iv) भारतीय बीमा कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उसका स्वामित्व और नियंत्रण हर समय निवासी भारतीय संस्थाओं के पास रहे;

(v) भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी संविभाग निवेश विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमन, 2000 और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (विदेशी संविभाग निवेशक) विनियमन के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होगा।

(vi) भारतीय बीमा कंपनी के विदेशी निवेश में वृद्धि विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट मूल्यनिर्धारण दिशानिर्देशों के अनुसार होगी। [ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 94, दिनांक 8 अप्रैल 2015]

गैर-बैंकिंग विनियमन

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के दिशानिर्देशों में संशोधन

रिज़र्व बैंक ने 8 अप्रैल 2015 को निदेश दिया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्था द्वारा ₹1,00,000 तक की वार्षिक आय वाले ग्रामीण परिवार या ₹1,60,000 की वार्षिक आय वाले शहरी और अर्धशहरी परिवार को दिया गया ऋण अर्हक आस्ति के रूप में परिभाषित करने का पात्र होगा। ऋण संवितरित करते समय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उधारकर्ता की कुल ऋणग्रस्तता ₹1,00,000 से अधिक नहीं हो। उधारकर्ता की कुल ऋणग्रस्तता में शिक्षा और चिकित्सा खर्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। रिज़र्व बैंक ने ऋण के संवितरण की सीमा में संशोधन किया है। ऋण की राशि पहले चक्र में ₹60,000 और बाद के चक्रों में ₹1,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय सृजन के लिए प्रदान किए गए ऋण की कुल राशि में एनबीएफसी-एमएफआई के कुल ऋण का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा हो और शेष 50 प्रतिशत अन्य प्रयोजनों के लिए हो सकता है। फिर भी, सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे व्यर्थ के प्रत्यक्ष उपभोग के खतरों पर अपने उधारकर्ताओं को शिक्षित करने के अलावा अपने उधार कार्यकलाप में विवेकपूर्ण और जिम्मेदार बनें। (डीएनबीआर.सीसी. पीडी.सं.027/03.10.01/2014-15, दिनांक 8 अप्रैल 2015)।

मुद्रा प्रबंध

मुद्रा तिजोरियां खोलने की सरलीकृत क्रियाविधि

रिज़र्व बैंक ने 23 अप्रैल 2015 को 'तिजारियों के सुरक्षित कक्षों/वाल्टों के निर्माण'' के लिए मौजूदा अनुदेशों की समीक्षा की और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को निम्नानुसार सूचित किया:

क. अंतर्राष्ट्रीय सीमा/विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र के नजदीकी स्थान

- यदि मुद्रा तिजोरी का प्रस्तावित स्थापन क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 80 किलोमीटर के भीतर है और जो राज्य की राजधानी या छावनी क्षेत्र नहीं है, तो बैंक सुरक्षा अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करें। किसी भी परिस्थिति में, आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्राप्ति से पूर्व निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया जा सकता है।
- निर्माण आरंभ करने से पहले, बैंक अन्य एजेंसियों से सभी प्रकार के आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने पर भी ध्यान दें।
- 14 नवम्बर 2008 के परिपत्र के अनुसार निर्माण के लिए निर्धारित तकनीकी विनिर्देशों का पूर्णतः अनुपालन बैंक द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- निर्माण पूर्ण होने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से अंतिम अनुमोदन प्राप्त किया जाएं।किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी या उसपर विचार नहीं किया जाएगा तथा विनिर्देशों के पालन में किसी भी प्रकार की कमी को स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

ख. अन्य सभी स्थान

- बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को जिनके क्षेत्राधिकार में मुद्रा तिजोरी का विनिर्माण किया जाना है, सूचना देने के बाद किसी भी स्थान पर नयी मुद्रा तिजोरी का निर्माण कर सकते हैं।
- निर्माण आरंभ करने से पहले, बैंक अन्य एजेंसियों से सभी प्रकार के आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने पर भी ध्यान दें।
- 14 नवम्बर 2008 के परिपत्र के अनुसार, निर्माण के लिए निर्धारित तकनीकी विनिर्देशों का पूर्णतः अनुपालन बैंक द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- निर्माण पूर्ण होने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से अंतिम अनुमोदन प्राप्त किया जाएं। किसी भी प्रकार के परिवर्तन, को अनुमति नहीं दी जाएगी या उसपर विचार नहीं किया जाएगा तथा विनिर्देशों के पालन में किसी भी प्रकार की कमी को स्वीकृति नहीं दी जाएगी।सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा मुद्रा तिजोरियों की स्थापना के लिए रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुमोदन दिया जाना जारी रहेगा। अन्य सभी बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और विदेशी बैंक) मुद्रा तिजोरियों की स्थापना के लिए मुद्रा प्रबंध विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई से अनुमोदन प्राप्त करना जारी रखें।(डीसीएम (सीसी) सं.जी-13/4553/03.39.01/2014-15, दिनांक 23 अप्रैल 2015)

उपयोगी सूचना

सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में शीर्ष पदों का विभाजन

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों के पदों को अलग-अलग करने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। जबकि अध्यक्ष गैर-कार्यपालक होगा, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एंड सीईओ) कार्यपालक प्रमुख होगा। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पदों को अलग-अलग करना अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुसार है। बैंक को समग्र नीतिगत दिशानिर्देश देने का कार्य अध्यक्ष का होगा, बैंक के दैनिक प्रबंध की जिम्मेदारी एमडी और सीईओ की होगी। पदों को अलग-अलग करने से उचित नियंत्रण और संतुलन की स्थिति बनेगी तथा बोर्ड स्तर पर जवाबदेही होगी क्योंकि जो व्यक्ति इस कार्य को कर रहा है, वह बोर्ड के प्रति जवाबदेह होगा और बोर्ड की अध्यक्षता किसी दूसरे गैर-कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। सरकार ने पांच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एमडी और सीईओ की नियुक्ति की है तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-कार्यपालक अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया का कार्य जारी है।

ऐसा श्री जयंत सिन्हा, राज्यमंत्री, वित्त मंत्रालय द्वारा 24 अप्रैल 2015 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में कहा गया। (स्रोतः संसदीय प्रश्न और उत्तर)

बैंकों में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग

रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंकों में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग के संबंध में ग्राहक सेवा पर 1 जुलाई 2014 को जारी किए अपने मास्टर परिपत्र में बैंकों को निम्नानुसार सूचित किया है:

- सभी काउंटरों पर अंग्रेजी, हिंदी और संबंधित क्षेत्रीय भाषा में संकेतक बोर्ड प्रदर्शित करना। बैंकों की अर्ध-शहरी और ग्रामीण शाखाओं में कारोबार पोस्टर भी संबंधित क्षेत्रीय भाषा में होने चाहिए।
- ग्राहकों को पुस्तिकाएं उपलब्ध कराना जिनमें बैंक में उपलब्ध सेवा और सुविधाओं के सभी ब्यौरे हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित क्षेत्रीय भाषा में हों।
- ग्राहकों के साथ बैंकों द्वारा कारोबार करने में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग, इस कार्य में उपभोक्ताओं के लिए सूचना भी शामिल है।
- बैंकिंग सुविधाओं का जनसंख्या के बड़े वर्गों तक विस्तार सुनिश्चित करने के लिए बैंक खुदरा ग्राहकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सारी मुद्रित सामग्री जिसमें खाता खोलने के लिए फार्म, जमा पर्ची, पास्बुक आदि शामिल है, उसे तीन भाषाओं अर्थात अंग्रेजी, हिंदी और संबंधित क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराएं।
- सभी चेक फार्म हिंदी और अंग्रेजी में मुद्रित होने चाहिए। तथापि, ग्राहक हिंदी, अंग्रेजी या संबंधित क्षेत्रीय भाषा में चेक लिख सकते हैं।
- ड्रॉप बॉक्स सुविधा और नियमित वसूली काउंटरों पर चेक की पावती सुविधा ग्राहकों के पास उपलब्ध होनी चाहिए और कोई भी शाखा पावती सूचना देने के लिए मना नहीं करे यदि ग्राहक ने चेक काउंटर पर प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त संदेश को अंग्रेजी, हिंदी और संबंधित राज्य की क्षेत्रीय भाषा में प्रदर्शित करने की आवश्यकता है।

ऐसा श्री जयंत सिन्हा, राज्यमंत्री, वित्त मंत्रालय द्वारा 24 अप्रैल 2015 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में कहा गया। (स्रोतः संसदीय प्रश्न और उत्तर)

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित। **मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.rbi.org.in/MCIR पर भी उपलब्ध है।**